



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

आचार्य मनिष र. जोशी
सचिव

Prof. Manish R. Joshi
Secretary



सत्यमेव जयते



आज़ादी का
अमृत महोत्सव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

PUBLIC NOTICE

F. No. 1-4/2026(DEB-NWR)

03 वैशाख, 1948/23rd April, 2026

Invitation of applications from Eligible Higher Educational Institutions (HEIs) for recognition to offer programmes under Open and Distance Learning (ODL) mode and/or Online mode for academic year 2026-27, academic session beginning August, 2026 and onwards.

UGC invites fresh online applications from Eligible Higher Educational Institutions (HEIs) as per Regulation 3(A) and Regulation 3(B)(b) of UGC (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020 and its amendments for recognition of programmes under Open and Distance Learning (ODL) mode and/or Online mode for academic year 2026-27, academic session beginning August, 2026 and onwards.

Application Timeline & Submission Details:

- Online Application Window: **27th April, 2026 till 11th May, 2026**
- Application Portal: <https://deb.ugc.ac.in/>
- Hard Copy Submission Deadline for original affidavit & annexures: **20th May, 2026**
- Submission Address: Joint Secretary, Distance Education Bureau, UGC, 35, Feroze Shah Road, New Delhi - 110001

The HEIs are requested to visit the UGC DEB website at <https://deb.ugc.ac.in/> for the prescribed application fee and for further updates/ announcements in this regard.

Note:-

1. The application submission window is opened throughout the year at <https://deb.ugc.ac.in/> for HEIs entitled to offer Online programmes and Category-I HEIs to offer Open and Distance Learning (ODL) programmes.
2. The mere submission of an application should not be considered as grant of approval and that all application(s) shall be subject to scrutiny with respect to the standards stipulated in the UGC (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020 and its amendments.

(मनिष जोशी)

सचिव



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

आचार्य मनिष र. जोशी
सचिव

Prof. Manish R. Joshi
Secretary



सत्यमेव जयते



आज़ादी का
अमृत महोत्सव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

सार्वजनिक सूचना

मि.सं. 1-4/2026(डीईबी-एनडब्ल्यूआर)

03 वैशाख, 1948/23 अप्रैल, 2026

पात्र उच्चतर शिक्षण संस्थानों (HEIs) से शैक्षणिक वर्ष 2026-27 हेतु, अगस्त 2026 से प्रारंभ होने वाले शैक्षणिक सत्र तथा उसके पश्चात्, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) माध्यम और/या ऑनलाइन माध्यम के अंतर्गत कार्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता प्रदान किए जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा, पात्र उच्चतर शिक्षण संस्थानों (HEIs) से, यूजीसी (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम तथा ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 एवं उसके संशोधनों के विनियम 3(A) तथा विनियम 3(B)(b) के अनुसार, शैक्षणिक वर्ष 2026-27 हेतु, अगस्त 2026 से प्रारंभ होने वाले तथा उसके पश्चात्, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) माध्यम और/या ऑनलाइन माध्यम के अंतर्गत कार्यक्रमों की मान्यता हेतु नए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

आवेदन की समय-सीमा एवं प्रस्तुतिकरण विवरण:

- ऑनलाइन आवेदन अवधि: 27 अप्रैल, 2026 से 11 मई, 2026 तक है।
- आवेदन पोर्टल: <https://deb.ugc.ac.in/>
- मूल हलफनामा एवं संलग्नकों की हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि: 20 मई, 2026
- प्रेषण का पता: संयुक्त सचिव, दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, यूजीसी, 35, फ़िरोज़ शाह रोड, नई दिल्ली 110001

उच्चतर शिक्षण संस्थानों (HEIs) से अनुरोध है कि निर्धारित आवेदन शुल्क तथा इस संबंध में आगे की अद्यतन जानकारी/घोषणाओं के लिए यूजीसी डीईबी की वेबसाइट <https://deb.ugc.ac.in/> का अवलोकन करें।

नोट:

- ऑनलाइन कार्यक्रम संचालित करने के लिए पात्र उच्चतर शिक्षण संस्थानों (HEIs) तथा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) कार्यक्रम संचालित करने हेतु श्रेणी-I के उच्चतर शिक्षण संस्थानों (HEIs) के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा वर्ष भर <https://deb.ugc.ac.in/> पर उपलब्ध रहती है।
- केवल आवेदन प्रस्तुत करना अनुमोदन प्रदान किया जाना नहीं माना जाएगा तथा सभी आवेदन यूजीसी (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम तथा ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 एवं उसके संशोधनों में निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप परीक्षण/जांच (स्कूटनी) के अधीन होंगे।

(मनिष जोशी)

सचिव